# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—272/2021/225आर.टी.एक्ट (2021/272)

1. अब्दुल हकीम पुत्र श्री हजारी जाति मुसलमान निवासी ग्राम ऊंटडा उप—तहसील अरडका , तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती शरीफा पत्नि स्व० अजीज खां
2. अजहरूदीन पुत्र स्व० अजीज खां
3. अलाउद्दीन पुत्र स्व० अजीज खां
4. दिलशान उर्फ दिलशान पुत्र स्व० अजीज खां
5. श्रीमती रूखसाना पुत्री स्व० अजीज खां
6. श्रीमती सैनाज पुत्र स्व. अजीज खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम ऊंटडा उप—तहसील अरडका, तहसील व जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर।
8. नायब तहसीलदार अरडका, तहसील व जिला अजमेर।
9. कैनरा बैंक जरिये प्रबन्धक शाखा सोफिया सी.सै.स्कूल जयपुर रोड,अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
10. उप—पंजीयक अरडका, उपतहसील अरडका, तहसील व जिला अजमेर।
11. उप—पंजीयक द्वितीय, पंजीयन विभाग, जयपुर रोड अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प कोर्ट दिनांक 29.11.2021 , प्रार्थना—पत्र संख्या 19/2021,

उपस्थितः—

1. श्री रूपक शर्मा, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री शाहबुद्दीन खान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 06.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 07, 08.
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 9 अनुपस्थित।

## निर्णय

दिनांकः—23.08.2022

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प द्वारा प्रकरण संख्या 19/2021 में पारित आदेश दिनांक 19.11.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251– क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत विरूद्व अपीलांट व शेष रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पो सं. 1 से 6 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 3.9.2021 को यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 का खेत खसरा नं. 2847 रकबा 0.8700 हैक्टर किस्म बारानी 2 की भूमि ग्राम ऊंटडा पटवार हल्का ऊंटडा तहसील व जिला अजमेर में आई हुई है उक्त आराजी पर अवमानना के लिए अपीलांट के खेत खसरा नं. 2847/3912 रकबा 0.8700 हैक्टर किस्म बारानी 2 की भूमि में से उत्तरी सींव से लगायत पश्चिमी सींव से पूर्व 30 फीट चौडा रास्ता आवेदनकर्ता/ रेस्पोडेन्ट को दिलाया जावे। उक्त प्रार्थना–पत्र को उपखण्ड अधिकारी,अजमेर ने दिनांक 3.9.2021 को दर्ज कर अपीलांट व शेष रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर दिनांक 30.9.2021 की आगामी पेशी नियत की गयी दिनांक 30.9.2021 को अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री विजय सिंह रावत द्वारा उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। तथा प्रकरण शेष रेस्पोडेन्टगण की तामिल हेतु दिनांक 11.11.2021 को नियत किया गया दिनांक 11.11.2021 के पश्चात प्रकरण में आगामी पेशी 23.12.2021 नियत की गई। यहां यह कहना आवश्यक होगा कि प्रकरण अभी शेष रेस्पोडेन्टस की तामिल व अपीलांट की जवाब हेतु नियत था जिसके पूर्व ही प्रकरण में प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 का एक नोटिस अपीलांट को प्राप्त हुआ जिसमे दिनांक 29.11.2021 की पेशी नियत थी। यह कि अपीलांट अब्दुल हकीम दिनांक 29.11.2021 को प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में उपस्थित हुआ और वहां पर उसने रीडर से आगामी पेशी के लिए निवेदन किया। जिस पर रीडर ने एक आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर करवा कर उसे यह कह दिया कि आगामी पेशी नियत कर दी जावेगी। जिसके पश्चात अपीलांट अपने घर लौट गया किन्तु अपीलांट की पीठ पीछे दिनांक 29.11.2021 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर ने प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प ऊंटडा के दौरान रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आर.टी.एक्ट को एकतरफा में बिना अपीलांट को जवाब पेश करने का अवसर दिए एंव बिना शेष रेस्पोडेन्ट की तलबी हुए अपने आदेश दिनांक 29.11.2021 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 6 का प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करने का ओदश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह अपील निम्न आधारो पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 09 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तिम बहस हेतु परिपक्व नही था, प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.09.2021 को दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये के आदेश हुए थे जिसके पश्चात आगामी पेशी दिनांक 30.09.2021 पर अपीलांट ने अपना अधिवक्ता नियुक्त कर जवाब हेतु समय चाहा था तथा प्रकरण अभी शेष रेस्पोडेन्टस की तामील हेतु विचाराधीन था और प्रकरण में आगामी

पेशी दिनांक 23.12.2021 नियम थी, किन्तु उससे पूर्व ही प्रशासन गॉवो के संग अभियान कैम्प कोर्ट ऊंटड़ा का एक नोटिस अपीलांट को प्राप्त हुआ जिस पर अपीलांट मात्र जानकारी करने के लिए कैम्प कोर्ट में उपस्थित हुआ था किन्तु उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा अपीलांट की हाजरी कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 06 का प्रार्थना–पत्र एक तरफा में ही स्वीकार कर प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित रास्ते की इस्तदुआ को स्वीकार कर लिया गया। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पूर्ण अवहेलना की है क्योंकि नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त यह कहता है कि किसी भी पक्षकार को सुने एवं बिना जवाब का अवसर दिये एक तरफा में किसी भी प्रकार का आदेश/निर्णय अगर किसी व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया जाता है तो ऐसे आदेश/निर्णय उस व्यक्ति के अधिकारों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। लोक अदालत की भावना के अन्तर्गत ही प्रशासन गांवो के संग अभियान लगाया जाता है और लोक अदालत की भावना वहॉ मान्य होगी जहॉ पर पक्षकारान के बीच समझौता, राजीनामा या विड्रो जैसे तथ्य हो, जहॉ पक्षकारान किसी प्रकरण को कानूनी प्रक्रिया के द्वारा लड़ना चाहते है वहॉ पर लोक अदालत या कैम्प कोर्ट की भावना से प्रभाव रूप से पक्षकारान के मध्य निर्णय पारित नहीं किये जा सकते है जो कि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने न समझ कर लोक अदालत की परिभाषा के विरूद्ध जाकर अपना आदेश पारित किया है, ऐसे आदेश विधि के पूर्णतया विपरीत होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.11.2021 को ही तहसीलदार, अजमेर से मौके की रिपोर्ट ली जिस रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार के उपस्थिति के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं है संदेह से परे यह साबित होता है कि मात्र प्रकरण को निस्तारित करने के लिए एक ही दिन से मौका रिपोर्ट तैयार कर आनन–फानन में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया गया था जो शामिल नहीं किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सरकारी नियम 1955 के उपनियम 69 की पालना में तहसीलदार, अजमेर द्वारा मौके की रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प ऊंटड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2021 को निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 06 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र. अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम को खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन ए.आई.आर. 2006 पेज 3089 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया है।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 06 ने दौराने जवाब/बहस में निवेदन किया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जो कि लोक अदालत में किया गया है, लोक अदालत द्वारा किये आदेशों/निर्णयों की अपील नहीं की जा सकती है। तहसीलदार, अजमेर द्वारा मौके के अनुसार सत्य रिपोर्ट तैयार की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक व विधिवत रूप से आदेश पारित किये है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

7. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपील एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन अधिनियम 1955 की धारा 251—क के प्रावधानो के अनुसार नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने के लिए दो चीजे आवश्यक है, आत्यान्तिक आवश्यकता होनी चाहिए ना कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिए एवं विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। इसी प्रकार का प्रावधान राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 में अधिनियम, 1955 की धारा 251—ए को प्रभाव देने के लिए बनाये गये नियम 69 में भी स्पष्ट किया गया है कि 1—आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है एवं 2—किसी अन्य खातेदार की जोत से हो कर नये रास्ते के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध होना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में श्रीमतीशरीफा व अन्य ने अपनी आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 2847 रकबा 0.8700 है. की भूमि पर आने जाने तथा कृषि कार्य के लिए आने—जाने के लिए खसरा नम्बर 2837 व 2838 से होकर अप्रार्थी संख्या 01 के वर्तमान खसरा नम्बर 2847/3912 की भूमि की उत्तरी सींव से लगता पश्चिम से पूर्व का रास्ता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना—पत्र का अप्रार्थीगण ने कोई खण्डन ही नही किया। तहसीलदार, अजमेर द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट पर न तो प्रार्थी के हस्ताक्षर ना ही अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर है जिससे प्रतीत होता है कि मौका रिपोर्ट आनन—फानन में तैयार की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.11.2021 में आगामी पेशी दिनांक 23.12..2022 नियत की गई है तथा प्रार्थना—पत्र पर दिनांक 29.11.2021 को आदेश पारित किये गये है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थी अलाडद्दीन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते मिसल तलबी आगामी पेशी पर यह पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प पर प्रस्तुत की गई थी परन्तु अप्रार्थीगण को उसकी कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया है। उपरोक्त कारणों से न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर का आदेश दिनांक 29.11.2021, प्रकरण संख्या 19/2021 निरस्त कर, निम्न निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता है।

6. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 19/2021 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2021 निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ पत्रावली प्रतिप्रेषित की जाती है कि सभी पक्षकारों की सम्यक कार्यवाही करके जवाब/सुनवाई का अवसर देते हुए, राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के उपनियम 69 की पालना में तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर रास्ते के 4 बिन्दुओंः— वैकल्पिक रास्ते का समाधान, आत्यांतिक आवश्यकता, लघुत्तम व सुविधा का समाधान कर गुणावगुण पर उचित निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

26.4.22 को घेरा हो/ (?)

7. निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर